(12)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : 1363-एक/2006 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 26-06-2006 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर - प्रकरण क्रमांक 22/2005-06 अपील

1- श्रीमती शॉतिवाई पत्नि स्व. हरभजन धाकड़
ग्राम भैंसोरा तहसील व जिला शिवपुरी
2- रामसखी पत्नि रामसिंह ग्राम सहसारी
तहसील घाटीगॉव जिला शिवपुरी
3- रामकटोरी पत्नि विश्म्भर ग्राम मानगढ़
तहसील व जिला शिवपुरी
4- गोमती पत्नि गिर्राज , निवासी महेशपुरा
तहसील व जिला शिवपुरी
5- मेंदा पत्नि विजय ग्राम धोलागढ़
तहसील व जिला शिवपुरी
6- गुडडी उर्फ ममता पत्नि अजयसिंह ग्राम टटोरी
त्हसील घाटीगॉव जिला शिवपुरी ——आवेदकगण

विरूद्ध

चिरोंजीलाल पुत्र जगन्नाथ किरार
ग्राम भैसोरी तहसील व जिला शिवपुरी ——अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री डी0एस0चौहान)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री एस.पी.धाकड़)

आ दे श

(आज दिनांक 4 - 12 -2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 22/2005-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26-06-2006 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि हरभजन एंव बारेलाल दो सगे भाई थे जिनके नाम ग्राम भैसारा में कुल किता 22 (नायव तहसीलदार टप्पा सुभाषपुरा के आदेश दिनांक 6-9-04 में अंकित अनुसार) हिस्सा 1/2 = हिस्सा 1/2 भूमि थी। बारेलाल की मृत्यु उपरांत अनावेदक चिरोंजीलाल ने नायव तहसीलदार टप्पा सुभाषपुरा को मृतक बारेलाल की हिस्सा 1/2 भूमि पर नोटरी के माध्यम से संपादित बसीयत के आधार पर

नामांत्रण का आवेदन दिया। नायव तहसीलदार सुभाषपुरा ने प्र.क्र. 7 अ-6/ 2003-04 पंजीबद्ध किया तथा आवेदक की सुनवाई कर आदेश दि. 6-9-04 पारित किया तथा मृतक बारेलाल की हिस्सा 1/2 भूमि पर अनावेदक का नामान्तरण स्वीकार किया।

नायव तहसीलदार के आदेश दिनॉक 6-9-04 के विरूद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी, शिवपुरी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अध्किारी शिवपुरी ने प्रकरण कमांक 21/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-2-2005 से नायव तहसीलदार का आदेश निरस्त करते हुये समस्त हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया। अनुविभागीय अधिकारी, शिवपुरी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण कमांक 22/2005-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26-06-2006 से निगरानी स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी, शिवपुरी का आदेश दिनांक 25-2-2005 निरस्त करते हुये नायव तहसीलदार के आदेश दिनॉक 6-9-04 को यथावत् रखा। अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्को के कम में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने आदेश दिनांक 26-06-2006 के पृष्ठ-4 में अंकित किया है कि शांतिवाई आदि के व्दारा तहसील न्यायालय के आलोच्य आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की और वहीं दूसरी ओर अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रकरण कमांक 5/04-05 के रूप में चुनौती दी गई। इस प्रकार एक आदेश को दो विभिन्न न्यायालयों में चुनौती दी गई है और दोनों ही न्यायालयों में वास्तविकता को छिपाया गया है और इसी आधार पर उन्होंने अपील स्वीकार की है।

उक्त पर विचार किया गया। अपर आयुक्त के न्यायालय में आवेदकगण ने अभिभाषक नियुक्त किया है जिनका बकालातनामा अपर आयुक्त के प्रकरण में पृष्ठ 16 पर संलग्न है इस वकालातनामे पर समस्त आवेदकगण के निशानी अंगूठा लगे है। इसी प्रकार अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी के न्यायालय में प्रस्तुत अपील मेमो के अंत में सभी आवेदकगण के नाम अंकित है एंव प्रत्येक के नाम के हासिये में निशानी अंगूठा लगा है। स्पष्ट है कि आवेदकगण अपढ़ एंव निरक्षर है जिन्हें कानून का ज्ञान नहीं है।

यदि नायव तहसीलदार के आदेश दिनॉक 6-9-04 के विरूद्व आवेदकगण व्दारा नियुक्त अभिभाषक ने अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी के समक्ष अपील एंव अपर कलेक्टर शिवपुरी के समक्ष निगरानी प्रस्तुत कर दी, यह आवेदकगण का चातुर्य या छल नहीं माना जावेगा, अपितु यह पैरवीकर्ता अभिभाषक की त्रृटि एंव शोच होकर उनके व्दारा गलती की गई है।

रफीक विरूद्व मुँशीलाल A I R 1981 S C 1400 (सुप्रिम कोर्ट) एंव सुभानशाह विरूद्व मोहम्मद निसार शाह 1995 रा.नि. 402 में प्रतिपादित है कि अभिभाषक की त्रृटि के लिये पक्षकार को दंडित नहीं किया जाना चाहिये।

इस प्रकरण में भी ऐसी परिस्थितियॉ है कि समस्त आवेदकगण अपढ़ एंव निरक्षर है जिन्हें कानून का ज्ञान नहीं है परन्तु अभिभाषक व्दारा अपील/निगरानी की त्रृटि कर दिये जाने के कारण अपढ़ एंव निरक्षर ग्रामीणों को कानूनी पैचीदगी के आधार पर उनके अधिकार से बंचित करना न्यायदान नहीं है जिसके कारण अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा पारित आदेश दिनांक 26-06-2006 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ नायव तहसीलदार टप्पा सुभाषपुरा तहसील शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 7 अ-6/2003-04 में पारित आदेश दिनांक 6-9-04 में अंकित पक्षकारों के उन्मान इस प्रकार हैं -

श्री चिरोंजीलाल धाकड़ पुत्र श्री जगन्नाथ धाकड़
निवासी भेंसोरा तह, शिवपुरी .....आवेदक

विरूद्व

स्व.श्री बारेलाल पुत्र श्री हंसा धाकड़
(अनौपचारिक पक्षकार) ....अनावेदक

उपरोक्त पक्षकारों के अतिरिक्त अन्य कोई पक्षकार नहीं है। सामान्य सिद्वांत है कि मृत व्यक्ति को न तो पक्षकार बनाया जा सकता और न ही मृत व्यक्ति के विरूद्व कोई दावा लाया जा सकता। इस प्रकार नायव तहसीलदा सुभाषपुरा ने मृतक बारेलाल को अनावेदक स्वीकार कर आदेश दिनांक 6-9-04 पारित करने में भूल की है एंव इस तथ्य के अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग के समक्ष उजागर होने के वाद भी उन्होंने नायव तहसीलदार के त्रृटिपूर्ण आदेश यथावत् रखने में भूल की है।

6/ प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से यह भी परिलक्षित है कि स्वर्गीय बारेलाल के पिता का नाम स्वर्गीय हंसा है एंव स्वर्गीय हंसा से कुल किता 22 की भूमियां बारेलाल (बिओलाद फोत) एंव उसके भाई हरभजन को प्राप्त हुई है, जो हिस्सा 1/2 समान भाग

पर है। बारेलाल एंव हरभजन दोनों ही फोत हैं। हरभजन के वारिसान इस प्रकार हैं :-

हरभजन फोत
श्रीमती शॉतिवाई पत्नि हरभजन
वारिसान

रामसखी	रामकटोरी	गोमती	मैदा	गुडडी
पुत्री	पुत्री	पुत्री	पुत्री	पुत्री

उक्त दर्शाए वारिसान को नायव तहसीलदार ने व्यक्तिगत सूचना जारी नहीं की है एंव अनावेदक ने इन वारिसानों को पक्षकार भी नहीं बनाया है। स्पष्ट है कि स्वर्गीय बारेलाल के सगे भाई की पुत्रियों को सुनवाई का अवसर नहीं मिला है, जबकि अनावेदक किन्हीं जगन्नाथ किरार का पुत्र है जिसके कारण स्वर्गीय वारेलाल को उसके पिता बंशी से प्राप्त भूमि पर नोटरी के माध्यम से संपादित बसीयत के आधार पर अनावेदक को नामान्तरण की पात्रता है अथवा नहीं ? जांच का विषय है इस सम्बन्ध में अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी व्दारा प्रकरण कमांक 21/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-2-2005 से समस्त हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में त्रृटि नहीं की गई है जिसके कारण अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा पारित आदेश दिनांक 26-06-2006 दोषपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 22/2005-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26-06-2006 त्रृटिपूर्ण होने निरस्त किया जाता है एंव अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी व्दारा प्रकरण कमांक 21/2004-05 अपील में पारित प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 25-2-2005 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर